राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एन.एच.एम./प024/2015/ 336 दिनांक : 17../05/15

–: आदेश :–

राजस्थान राज्य के शहरी ज़नसंख्या क्षेत्रों में समुचित सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारीयों के पंदों पर निम्नांकित चिकित्सकों को वर्ष 2015–16 हेतु पूर्णतया अनुबन्ध के आधार पर समेकित पारिश्रमिक रूपयें 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है :–

S. NO.	NAME OF DOCTOR'S	DOB	PG/ DIPLOMA	PLACE OF POSTING
1	BABITA KUMARI MAHALA	07-07-81	DGO	MCH WING BHARATPUR
2	RAJEEV GARG	27-07-75	MD PAED	KANWATIA MCH WING JAIPUR
3	MAHENDRA KUMAR MEENA	10-06-79	MD PAED	CHC BASSI MCH WING JAIPUR
4	BRIJESH KUMAR BHARGAV	20-06-45	MD ANES	KANWATIA MCH WING JAIPUR

उपरोक्त चिकित्सकों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से अधिकतम **07 दिवस** अर्थात् **दिनांक 18.05.15 तक** कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

उक्त चिकित्सकों की सेवा शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित गाईडलाईन्स के अनुरूप होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

उपरोक्त चिकित्सकों का मासिक समेकित पारिश्रमिक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृत पी.आई.पी. वर्ष 2015–16 के कम्पोनेन्ट नं. A.8.1.3.1.a से गायनी व कम्पोनेन्ट नं. A.8.1.2.a से शिशु रोग एवं कम्पोनेन्ट नं. A.8.1.3.a से निश्चेतन का मानदेय आहरित किया जावेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिक निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एन.एच.एम.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एन.एच.एम.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–संबंधित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित को भेजकर लेख है कि **अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री, आर.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्रों की भी जांच करें।**
8. संबंधित चिकित्सकों को वेबसाइट के माध्यम से पालनार्थ।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।